PTCUL

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0
(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)
मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग
विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002
दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

पत्रांकः 349 /मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांकः 24.03.2020

विषय : कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव व रोकथाम के सम्बन्ध में।

समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक/अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल, ... ।

कोरोना वायरस संक्रमण अन्तर्राष्ट्रीय जनसमस्या के रूप में आपदा का रूप ले रहा है। वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में संक्रमण की त्वरित प्रकृति के दृष्टिगत पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर प्रभावी रोकथाम करना आवश्यक है, साथ–साथ विद्युत व्यवस्था को बनाये रखना भी अतिमहत्वपूर्ण है।

उपरोक्त के क्रम में कारपोरेशन पत्रांक 338/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 21.03.2020 के द्वारा निर्देशित किया गया था कि पिटकुल के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक (विद्युत उपसंस्थान एवं लाईनों के परिचालन एवं अनुरक्षण एवं प्रा0भा0नि0के0 से जुड़े कार्मिकों को छोड़ते हुए) कारपोरेशन कार्यो का निष्पादन अपने आवास से कर सकते हैं। ऐसे समस्त कार्मिकों को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहने के साथ–साथ अपना मोबाईल ऑन रखते हुए अटैण्ड करना अनिवार्य है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय उनको सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कार्यालय बुलाया जा सके। उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 21.03.2020 से 25.03.2020 तक प्रभावी रहने के निर्देश दिये गये थे।

Epidemic Disease Act, 1897 के तहत दी गई शक्तियों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोरोना वायरस बीमारी के रोकथाम एवं संक्रमण, 2019 (COVID-19) हेतु Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19, Regulations, 2020 का गठन किया।

उपरोक्त नियमावली के तहत उत्तराखण्ड शासन द्वारा अपने पत्रांक संख्या–UKHFWS/PS/MDNHM/2019-20/217, दिनांक 22.03.2020 के माध्यम से **"A Lockdown of non-essential services in the State of Uttarakhand from 2100 hours on 22nd March 2020 to 2359 hours on 31st March 2020"** के सम्बन्ध में अधिसूचना जारी करते हुए कुछ प्रतिबन्ध लगाये गये हैं। **उक्त आदेश की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न है।**

अतः उपरोक्त शासनादेश में दिये गये निर्देशों के क्रम में कारपोरेशन पत्रांक 338/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 21.03.2020 के द्वारा निर्धारित व्यवस्था को **दिनांक 25.03.2020 से बढ़ाते हुए दिनांक 31.03.2020** तक किये जाने हेतु निर्देशित किया जाता है।

उपरोक्त के साथ–साथ विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना हम सबका प्रथम दायित्व है, जिसका पालन प्रत्येक दशा में करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः 1. शासनादेश संख्या–UKHFWS/PS/MDNHM/2019-20/217, दिनांक 22.03.2020।
2. कारपोरेशन पत्रांक 338/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल, दिनांक 21.03.2020।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 349 /मा0सं0एवंप्र0वि0/ पिटकुल/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, पिटकुल, देहरादून को अध्यक्ष महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0), पिटकुल, देहरादून।
3. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पिटकुल की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पावर ट्राँसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि0

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

मानव संसाधन एवं प्रशासनिक विभाग

विद्युत भवन, नजदीक–आई0एस0बी0टी0 क्रासिंग, सहारनपुर रोड़, माजरा, देहरादून–248002

दूरभाष नं0 0135–2645249 फैक्स नं0 0135–2645249 email:- hr@ptcul.org

PTCUL

पत्रांकः 338/मा0सं0एवंप्र0वि0/पिटकुल/ दिनांकः 21.03.2020

विषय : कोरोना वायरस (COVID-19) से बचाव व रोकथाम के सम्बन्ध में।

निदेशक (वित्त)/(परिचालन)/(परियोजना)/(मा0सं0),
समस्त मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक,
समस्त अधीक्षण अभियन्ता/उपमहाप्रबन्धक,
समस्त अधिशासी अभियन्ता,
पिटकुल,
....।

कोरोना वायरस संक्रमण अर्न्तराष्ट्रीय जनसमस्या के रूप में आपदा का रूप ले रहा है। वर्तमान स्थिति के परिपेक्ष्य में संक्रमण की त्वरित प्रकृति के दृष्टिगत पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर प्रभावी रोकथाम करना आवश्यक है, साथ–साथ विद्युत व्यवस्था को बनाये रखना भी अतिमहत्वपूर्ण है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में मा0 प्रधानमंत्री, भारत सरकार द्वारा भी दिनांक 19.03.2020 को राष्ट्र के नाम सम्बोधन में कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के सम्बन्ध में कार्मिकों को अपने–अपने आवासों से कार्यों के निस्तारण इत्यादि के दिशा–निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है।

उपरोक्त के अनुपालनार्थ निर्देशित किया जाता है कि पिटकुल के विभिन्न कार्यालयों में कार्यरत कार्मिक (विद्युत उपसंस्थान एवं लाईनों के परिचालन एवं अनुरक्षण एवं प्रा0भा0नि0के0 से जुड़े कार्मिकों को छोड़ते हुए) कारपोरेशन कार्यो का निष्पादन अपने आवास से कर सकते हैं। ऐसे समस्त कार्मिकों को अपने मुख्यालय पर उपस्थित रहने के साथ–साथ अपना मोबाईल ऑन रखते हुए अटैण्ड करना अनिवार्य है, ताकि आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय उनको सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों द्वारा कार्यालय बुलाया जा सके।

उपरोक्त के साथ–साथ विद्युत व्यवस्था को सुचारू बनाये रखना हम सबका प्रथम दायित्व है, जिसका पालन प्रत्येक दशा में करना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त व्यवस्था दिनांक 21.03.2020 से 25.03.2020 तक प्रभावी रहेगी।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

पत्रांकः 338 /मा0सं0एवंप्र0वि0/ पिटकुल/ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि

1. निजी सचिव–अध्यक्ष, पिटकुल, देहरादून को अध्यक्ष महोदया के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अधिशासी अभियन्ता (सू0प्रौ0), पिटकुल, देहरादून को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त पत्र को पिटकुल की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

(अतुल कुमार अग्रवाल)
प्रबन्ध निदेशक

Government of Uttarakhand

Office of the Secretary

(Medical, Health and Family Welfare and Medical Education)

No. UKHFWS|PS-MDNHM|2019-20|217

Date: - 22 March, 2020

ORDER

Whereas, it is imperative to adopt strict social distancing and isolation measures to contain the spread of COVID-19, which is playing havoc in many countries across the world, including India.

Whereas, the Government of Uttarakhand, in exercise of powers conferred under the Epidemic Disease Act, 1897, has framed the Uttarakhand Epidemic Diseases, COVID-19, Regulations, 2020 for prevention and containment of Corona virus disease, 2019 (COVID-19).

Whereas, now under the aforesaid regulations, the Government of Uttarakhand hereby notifies a lockdown of non essential services in the State of Uttarakhand from 2100 hours on 22nd March 2020 to 2359 hours on 31st March 2020, stipulating the following restrictions:

a. No public transport services including operation of taxis, auto-rickshaws will be permitted. The exception will include Transport of all kinds to and from hospitals and airports. For to and fro airport transfers, carrying and producing valid documentation is mandatory.
b. All shops, commercial establishments, offices and factories, workshops, godowns etc. shall close their operations
c. All domestic / foreign returnees to the State are directed to remain under strict home quarantine for a period as decided by local Health Authorities
d. People are required to stay at home and come out only for basic services while strictly following social distancing guidelines issued earlier
e. However, the following establishments providing essential services shall be excluded from the above restrictions: -
    i. Offices charged with law and order and magisterial duties [District Magistrate, ADM/SDM and Tehsil]
    ii. Police
    iii. Medical and Health

Scanned by CamScanner

iv. Urban Local Bodies
v. Fire
vi. Electricity, Water and Municipal Services
vii. Banks/ATM
viii. Print, Electronic and Social Media
ix. Telecom & Internet Services including IT & ITeS
x. Postal services
xi. Supply chain and related transportation
xii. E-Commerce (delivery) of all essential goods including food, pharmaceutical and medical equipment
xiii. Food, Groceries, Milk, Bread, Fruit, Vegetable, Meat, Fish and their transportation related activities and warehousing
xiv. Hospitals, Chemist stores, Drugs and Pharmaceuticals manufacturing and their transportation related activities.
xv. Petrol pumps, LPG gas, Oil agencies, their godowns and their transportation related activities.
xvi. Production and Manufacturing Units which require continuous process may continue to function, after obtaining the required permission from the District Magistrates
xvii. Manufacturing units engaged in production of essential commodities

2. Inter State border shall be closed except for the movement of vehicles related to the above mentioned goods and services.

3. Any congregation of more than 5 persons shall be prohibited in public places.

4. Private establishments that support the above services or are linked to the efforts for containment of COVID-19 will remain open.

5. If there is any doubt as to whether a service establishment is essential or not, the District Magistrate shall be the competent authority to decide.

6. District Magistrates, Superintendents of Police , ADM/SDM , Tahasildar and Executive Officer of Urban Local Bodies are hereby authorized to take all necessary actions for enforcement and implementation of the aforesaid measures.

Scanned by CamScanner

Local police shall render necessary assistance as and when requisitioned by the aforementioned officers.

7. Any person found violating the containment measures shall be deemed to have committed an offence punishable under section 188 of Indian Penal Code (45 of 1860).

8. The restrictions imposed earlier shall continue to be in force in the State and in case of any doubt, the State Government will issue necessary directions/ clarifications.

22.03.2020

(Nitesh Kumar Jha)
Secretary

1. All Additional Chief Secretaries/ Principal Secretaries/ Secretaries, Govt. of Uttarakhand.
2. District Magistrates, All Districts of Uttarakhand.
3. Chief Medical Officers, All Districts of Uttarakhand.

Cc:

1. Chief Secretary, Govt. of Uttarakhand.
2. Director General, Police, Uttarakhand.
3. Mission Director, National Health Mission, Uttarakhand.
4. Director General, Medical Health and F.W, Uttarakhand.
5. Director, Medical Education Uttarakhand.

22.03.2020

(Nitesh Kumar Jha)
Secretary

Scanned by CamScanner